

26/02/19

पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष के अधिभाषक उपस्थित। अधिभाषक द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 CPC को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी/अधीन द्वारा 25/10/16 को शेष अधिभाषक की तलबी हेतु नोटिस पेश किये जाने के आदेश न्यायालय द्वारा किये जाने के उपरान्त भी पेश नहीं किये गये हैं, जिसके कारण वाद लम्बित चल रहा है तथा अधिभाषक प्रतिवादी के आर्थिक रूप से परेशान होना पड़ रहा है। अतः कृपया कानून में शक्ति प्रयोग की जावे।

प्रतिवादी/अधीन द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अखिलेश्वर किया तथा रेकार्ड पत्रावली के अधिभाषक के स्पष्ट है कि न्यायालय द्वारा दि. 25/10/16 को शेष अधिभाषक की तलबी हेतु नोटिस तलवाना पेश किये जाने के आदेश किये गये हैं। किन्तु वादी द्वारा लम्बित 2 1/2 वर्ष का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी ना तो प्रतिवादी/अधीन की तलबी पेश की है, ना ही आज प्रस्तुत किये गये हैं। जिससे स्पष्ट है कि वादी अपने हक अधिकारों के प्रति सजग नहीं है। अतः अधिभाषक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 151 CPC की कार कर वाद को आदेश अन्तर्गत 5 CPC के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली के साथ गुजार कर नम्बर से कम हो।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मु.) अजमेर